

डाकव्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189-ज]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 4997/21-अ/प्रारूपण/2001.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31 अगस्त, 2001 में प्रकाशित किए गए छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं. उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्समबद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द तथा अंक पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द तथा अंक (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक आए हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक जो कि पढ़े जाएं. (3)
	पृष्ठ	पंक्ति
विधेयक	388 (3)	3
		अधिनियम

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

388 (25)